रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160] नई दिल्ली, बुधवार, मई 8, 1996/वैशाख 18, 1918
No. 160] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 1996/VAISAKHA 18, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 1996

सा. का. नि. 203(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 682(अ) तारीख 16 अक्तूबर, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "अध्यक्ष" से संबंधित क्रम सं. 1 के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अध्यक्ष

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वाई. के. सब्बरवाल, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय।"

[फा. सं. 820/25/92-पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस.]
आर. के. गुप्तन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 1996

G.S.R. 203(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of Government of India, in the Ministry of Finance (Deptt. of Revenue) No. GSR. 682 (E) dated the 16th October, 1995 namely :—

In the said Notification for serial Number 1 relating to "Chairman", the following entry relating thereto shall be substituted, namely :—

"Chairman

1. Hon'ble Mr. Justice, Y. K. Sabharwal, Judge of the Delhi High Court;"

[F. No. 820/25/92-PITNDPS]
R.K. GUPTAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1996

IndiaCode